UPMB010016732023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, सी०ए०डब्लू०,महोबा
उपस्थित–अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय, उच्चतर न्यायिक सेवा UP–2700
दाण्डिक अपील संख्या 25 वर्ष 2023

देवकीनन्दन उम्र 50 वर्ष पुत्र कढ़ोरा बढई निवासी ग्राम बपरेथा थाना चरखारी जिला महोबा। ..... अपलार्थी

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। .....विपक्षी

अन्तर्गत धारा 374 दं०प्र०सं०
थाना–चरखारी जिला महोबा।

निर्णय

1. वर्तमान दण्डिक अपील अपीलार्थी/अभियुक्त देवकीनन्दन द्वारा न्यायालय सिविल जज, जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट, चरखारी, जनपद महोबा के दण्ड वाद संख्या–143/2007 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 19.07.2023 के द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क) के अधीन दोषसिद्ध किये जाने एवं दण्डित किये जाने के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलार्थी की ओर से अपील में यह आधार लिया गया है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2023 तथ्य, नियम विधि प्रतिकूल है कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.7.2023 सरसरी तौर पर पारित किया है एवं जो भी निष्कर्ष निकाले है त्रुटिपूर्ण हैं। अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य की समुचित विवेचना नही की है एवं बिना कोई फाइन्डिंग दिये प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अवर न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्षियों के ब्यानो मे गम्भीर विरोधाभाष है किन्तु अवर न्यायालय ने पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.7.2023 में गवाहान के बयानों के विरोधाभाष के सम्बन्ध मे कोई अपना तर्क प्रस्तत नही किया न कोई फाइन्डिंग दी है इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आदेश सरसरी तौर पर पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा अवर न्यायालय में इस तथ्य को विशेष रूप से रखा कि अपीलार्थी कभी अंगूठा नही लगाता है, बल्कि हस्ताक्षर करता है और चरखारी थाना पुलिस द्वारा तैयार की गयी फर्जी गिरफ्तारी/बरामदगी फर्द में अपीलार्थी के हस्ताक्षर नही है पुलिस द्वारा अंगूठा लगा होना दर्शाया है इस तथ्य को भी नजर अन्दाज करके विधिक त्रुटि करते हुये मनमाने तरीके से प्रश्नगत

आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त मामले के वादी मुकदमा श्री संतोष कुमार एस. एच. ओ. चरखारी द्वारा जो गिरफ्तारी बरामदगी फर्द मौके पर तैयार की गयी थी, उसमे अपीलार्थी के पास से कितने अदद उपकरण अवैध बरामद किये गये थे उनकी संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु अपनी साक्ष्य के स्तर पर अवर न्यायालय में उक्त गवाह द्वारा बरामदसुदा माल की संख्या 69 बतायी गयी। वादी मुकदमा द्वारा किस आधार पर ऐसा बयान दिया गया इसके सम्बन्ध में अवर न्यायालय द्वारा अपने प्रश्नगत आदेश मे कुछ भी उल्लेख नही किया। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत निर्णय सरसरीतौर पर पारित किया गया है। अवर न्यायालय में साक्ष्य के स्तर पर उपरोक्त केस के विवेचक को अभियोजन द्वारा पेश नही किया गया और न ही सेकेण्ड्री साक्ष्य ही करायी गयी और मनमाने तरीके ते प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जो कतई स्थिर रहने योग्य नही है हरहालत में निरस्त होने योग्य है। अन्य आधारों के आधार पर वर्तमान दाण्डिक अपील स्वीकार किये जाने की माँग की गयी है तथा निर्णय दिनांकित 19.07.2023 अपास्त किये जाने की माँग की गयी है।

3. उक्त के विरुद्ध शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत है। अभियोजन साक्ष्यों से अभियुक्त/अपीलार्थी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज एवं तमंचा बनाने की फैक्ट्री मय उपकरण सहित व अधबने पुर्जे बरामद किये जाने का तथ्य भलीभाँति साबित है।तद्नुसार वर्तमान दाण्डिक अपील निरस्त किये जाने की माँग की गयी है।

4. अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में लिये गये आधारों की पुनरावृत्ति करते हुये कथन किया गया है कि उसके विरुद्ध अपराध का गठन नहीं होता है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विकल्प में परिवीक्षा का लाभ प्रदान किये जाने की भी माँग की गयी है।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं निर्णय दिनांकित 19.07.2023 का अवलोकन किया।

6. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपील में यह प्रमुख आधार लिया गया है कि साक्षियों के बयान में गम्भीर विरोधाभाष था और विवेचक का साक्ष्य अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन को पर्याप्त अवसर साक्ष्य हेतु प्रदान किया गया था। आरोप पत्र पर

नामित सभी साक्षी, पुलिस साक्षी थे और उनके न्यायालय में उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया था। पत्रावली पर वादी मुकदमा संतोष कुमार फर्द गवाह मदारीलाल व देवीलाल न्यायालय में उपस्थित होकर परीक्षित हुये थे जिन्होंने फर्द गिरफ्तारी, फर्द बरामदगी, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, जी०डी० कायमी व अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में अपने बयान दर्ज कराये हैं। अभियोजन की ओर से विवेचक को न्यायालय परीक्षित न कराना और द्वितीयक साक्षी के रूप में भी किसी को परीक्षित न कराया जाना निश्चित रूप से एक गम्भीर त्रुटि है। परन्तु न्यायालय में उपस्थित साक्षियों द्वारा फर्द बरामदगी को साबित किया गया है। बरामदशुदा माल को न्यायालय के समक्ष खोला गया एवं गिनती की गयी जिसमें लगभग 69 अदद माल बरामद हुआ था और जिस पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श 69 डाला गया था। यद्यपि अभियोजन साक्षियों के बयानों में कुछ विरोधाभाष है परन्तु न्यायालय में अभियोजन साक्षियों का बयान घटना दिनांक 02.12.2006 के उपरान्त वर्ष 2009, 2019 व 2021 में कराये गये हैं। ऐसी दशा में बयानों में विरोधाभाष पाया जाना स्वाभाविक है।

7. अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से अपील में यह आधार भी लिया गया है कि फर्द बरामदगी में अपीलार्थी का अंगूठा कभी नहीं लगा है। पुलिस द्वारा फर्जी गिरफ्तारी करके उस पर स्वयं अंगूठा लगा दिया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त बचाव विचारण न्यायालय की पत्रावली पर प्रथम बार बहस स्तर पर लिया गया था। अभियुक्त ने अपने बयान धारा 313 दं०प्र०सं० में भी उक्त बचाव नहीं लिया कि फर्द में उसका अंगूठा नहीं लगा था। अंगूठा न लगा होना एक विशिष्ट तथ्य है जिसकी जानकारी सिर्फ विशिष्ट रूप से केवल अभियुक्त को थी। ऐसी दशा में अभियुक्त द्वारा विचारण के किसी भी प्रक्रम में इस विशिष्ट तथ्य का खुलासा नहीं किया गया। अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष अंगूठे निशान की जॉच हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर सकता था। परन्तु उसके द्वारा नही किया गया है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय इस मत पर पहुंचता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है।

जहॉ तक अपीलार्थी/अभियुक्त के दण्डादेश का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी/अभियुक्त के प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये उसके विरूद्ध पारित दण्डादेश में संशोधन इस प्रकार किया जाना न्यायोचित है कि अपीलार्थी/अभियुक्त

देवकीनन्दन को पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया जाये। अतः दाण्डिक अपील अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

दाण्डिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय दिनांकित 19.07.2023 बावत आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(क) के अन्तर्गत तीन वर्ष के साधारण कारावास के स्थान पर पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया जाता है किन्तु अवर न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड यथावत रहेगा।

अपीलार्थी/अभियुक्त जमानत पर है। उसके जमानतनामे निरस्त कर प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाये।

दिनांकः 04.06.2026 **(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०,महोबा।

आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः 04.06.2026 **(अपर्णा त्रिपाठी–द्वितीय)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०
सी०ए०डब्लू०,महोबा।

<u>टाइपकर्ता</u>
उमेश चन्द्र गुप्ता
कार्यकारी सहायक

Digitally signed by APARNA TRIPATHI
Date: 2026.06.10 09:56:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court